उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 15/2010

टाटा स्टील लि0 बनाम् भीखन साव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2018	– आदेश – अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद के प्रति उभय पक्षों की अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। अवलोकन से स्पष्ट है कि माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा बारूघुटु, थाना नं0–118, थाना– माण्डू खाता नं0– 48 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। वाद में विपक्षी भीखन साव, पिता– खिरोधर महतो, ग्राम– बारूघुटु, जिला हजारीबाग हाल जिला– रामगढ़ के नाम से पंजी– II के पृ0सं0– 50/IV में खाता नं0–48, प्लॉट नं0– 596, रकवा– 2.41 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी प्रथम दृष्टया में संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः आवेदक द्वारा दायर आवेदन को **अस्वीकृत** करते हुए, **भीखन साव, पिता– खिरोधर महतो, ग्राम– बारूघुटु, जिला हजारीबाग हाल जिला– रामगढ़ के नाम से पंजी– II के पृ0सं0– 50/IV में खाता नं0–48, प्लॉट नं0– 596, रकवा– 2.41 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी को स्थगित** रखते हुए अंचल अधिकारी, माण्डू को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, सृजन एवं भूमि के वर्त्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, माण्डू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 23/3/18 उपायुक्त, रामगढ़। 23/3/18 उपायुक्त, रामगढ़।	